पी. जी.

समक्ष : हरबंस सिंह राय और ए. पी. चौधरी माननीय न्यायमूर्ति

ठाकर दास - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य - उत्तरदाता।

क्रिमिनल विविध. 1990 का संख्या 3056-एम

18 दिसंबर, 1990।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 221-आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का II)- धारा 482-खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम, 1954-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई शिकायत, आरोप और अन्य कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए याचिका-परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं-दूसरा, याचिका- क्या सक्षम है

अभिनिर्धारित किया गया कि जब याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है की उन्हीं तथ्यों पर तो उसकी अगली याचिका को स्वीकृत जाए। उन्होंने न तो परिस्थितियों में बदलाव का कोई कथन नहीं किया और न ही विरोध का कोई नया आधार बताया। ऐसी स्थिति में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित धारा 482 सीआरपीसी के तहत कोई भी याचिका सक्षम नहीं है। यदि परिस्थिति में कोई बदलाव हुआ हो तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका सक्षम हो सकती है, लेकिन परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के बिना, समान तथ्यों और आधारों पर, कोई भी बाद की याचिका सक्षम नहीं होगी। यह पहले के आदेश की समीक्षा के समान होगा। हमारी राय में, कानूनी स्थिति स्पष्ट है और उन्हीं तथ्यों पर यह दूसरी याचिका सक्षम नहीं है और खारिज की जाती है।

(पैरा 7)

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 227, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 482, खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम, 1954

शिकायत को रद्द करने के लिए याचिका, अन्य पर आरोप, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई कार्यवाही-समान परिस्थितियों में दूसरी याचिका-सक्षम है या नहीं?

अभिनिर्धारित किया कि जब याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि..... और खारिच किया जाता है।

(पैरा 7)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका जिसमे यह प्रार्थना की गई कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सी. जे. एम. रेवाड़ी के न्यायालय में लंबित शिकायत और अन्य कार्यवाही को रद्द किया जाये।

यह भी प्रार्थना की गई कि इस याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान निचली निचली अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जी. एस. साहनी।

प्रतिवादी राज्य की ओर से अधिवक्ता एस. वी. राठी।

निर्णय

हरबंस सिंह राय, माननीय न्यायमूर्ति

(1) याचिकाकर्ता ठाकर दास ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित धारा 482 सीआरपीसी के तहत सब डिविजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेवाडी, जिला महेंद्रगढ़ की अदालत के समक्ष खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत शिकायत, आरोप, अतिरिक्त साक्ष्य के आदेश और उसकी अन्य कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। यह याचिका न्यायमूर्ति जे बी गर्ग के समक्ष सुनवाई के लिए आई। जिन्होंने 7 फरवरी, 1990 के अपने आदेश के तहत अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति देने वाले 3 नवंबर, 1987 के आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता की अन्य दलीलों को स्वीकार नहीं किया और पक्षों को 5 मार्च, 1990 को निचली अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया और न्यायालय को निर्देश दिया की शिकायत का शीघ्र

निस्तारण किया जाये।

(2) ठाकर दास ने शिकायत, आरोप और अन्य कार्यवाही को रद्द करने के लिए 21 मार्च, 1990 को इस न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक और याचिका दायर की। ठाकर दास द्वारा दायर याचिका का शीर्षक इस प्रकार है:-

> " खाद्य अपमिश्रण रोकथामअधिनियम, 1954 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेवाडी की अदालत में लंबित शिकायत, आरोप और अन्य कार्यवाही को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका"

प्रार्थना इस प्रकार है:-

"प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सीजेएम, रेवाड़ी की अदालत में लंबित शिकायत और अन्य कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।

आगे प्रार्थना की गई है कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान ट्रायल कोर्ट की अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाई जा सकती है"

(3) याचिका 9 मई, 1990 को सुनवाई के लिए मेरे सामने आई और जब राज्य के वकील ने बताया कि एक समान याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है, तो श्री जी एस साहनी ने तर्क दिया कि वह धारा 482 सी.आर.पी.सी के तहत एक ही मामले में समान आधारों पर तथा कुछ अतिरिक्त आधारों पर भी एक और याचिका दायर करने के हकदार थे। चूँकि मेरा विचार था कि इसमें कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है इसलिए मैंने मामले को निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया

था। नतीजतन यह याचिका हमारे समक्ष आयी है।

(4) यह विवादित नहीं है कि श्री साहनी द्वारा कोई नया आधार नहीं लिया गया है और दूसरी याचिका उसी आधार पर है जिस पर पहली याचिका दायर की गई थी। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कि दूसरी याचिका सक्षम है, श्री साहनी ने "कानूनी मामलों के अधीक्षक और स्मरणकर्ता, पश्चिम बंगाल बनाम मोहन सिंह और अन्य" (1) को आधारित किया है, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि : -

> "निचली अदालत में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति लंबे समय से चली आ रही है। अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है - अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है। तथ्य यह है कि पूर्व अवसर पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए इसी तरह के एक आवेदन को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इसमें शामिल प्रश्न पूरी तरह से तथ्यात्मक प्रश्न थे जिनका निर्णय निचली न्यायालय को करना था, इसलिए कार्यवाही को बाद का चरण में रद्द करने में कोई बाधा नहीं है। इस तरह का निरस्तीकरण उच्च न्यायालय के पहले के आदेश में संशोधन या समीक्षा नहीं होगा - धारा 561-ए के तहत आदेश उस समय मौजूद परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारित किया जाना चाहिए जब आदेश पारित किया जाता है"

अत: श्री साहनी के अनुसार दूसरी याचिका पोषणीय है।

(5) राज्य के तरफ़ से विद्वान अधिवक्ता ने "मैसर्स मालेरकोटला ऑटो उद्योग, मालेरकोटला और अन्य बनाम आयात और निर्यात के उप

मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली (2) का हवाला दिया है, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति आई एस तिवाना ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया : -

> "दायर की गई दूसरी याचिका वास्तव में उच्च न्यायालय के पहले के आदेश की समीक्षा है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने विचारणीय दण्डादिकारी द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा या निरस्त करने की मांग की थी और पुनरीक्षण अदालत द्वारा उनकी पुष्टि करने में सक्षम नहीं है"

(6) हमने तर्क पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और पक्षों के वकील द्वारा उद्धृत प्राधिकारियों का अध्ययन किया है।

(7) "कानूनी मामलों के अधीक्षक और स्मरणकर्ता मामले (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

> "हालाँकि, हमारे लिए इन टिप्पणियों के वास्तविक प्रभाव की जांच करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उनका कोई अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां उच्च न्यायालय को उसके पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दिए गए पहले के आदेश को संशोधित करने या समीक्षा करने के लिए निवेदन किया गया था। यहां स्थिति बिल्कुल अलग है। पहले वाला आवेदन जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 561ए के तहत कार्यवाही को निरस्त करने के लिए एक आवेदन था और उच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया था कि सबूत अभी तक पेश नहीं किए गए थे और इसमें कार्यवाही के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना वांछनीय नहीं था"

माननीय न्यायमूर्ति जे बी गर्ग ने विचार विमर्श करने के बाद याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दिया और अब याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि उन्हीं तथ्यों पर उसकी अगली याचिका की अनुमति दी जाए। उन्होंने

न तो परिस्थितियों में बदलाव को वर्णित किया और न ही विवाद का कोई नया आधार बताया। ऐसी स्थिति में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित धारा 482 सीआरपीसी के तहत कोई भी याचिका सक्षम नहीं है। यदि परिस्थिति में कोई बदलाव हुआ होता तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका सक्षम हो सकती है, लेकिन परिस्थितियों में किसी भी बदलाव के बिना, समान तथ्यों और आधारों पर, कोई भी बाद की याचिका सक्षम नहीं होगी। यह पहले के आदेश की समीक्षा के समान होगा। हमारी राय में, कानूनी स्थिति स्पष्ट है और उन्हीं तथ्यों पर यह दूसरी याचिका सक्षम नहीं है और खारिज की जाती है। पक्षों को 21 जनवरी 1991 को निचली अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है और निचली अदालत को दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़